संख्या-47/2026/I/1507892/2026/001-77-5002-002-5-2026

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर, चन्दौली एवं मिर्जापुर।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 29.10.2026

विषय:- वितीय वर्ष 2026-27 में विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुए (विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल स्पर लिंक) परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि की माँग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 1026/यूपीडा/बजट-विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल लिंक स्पर/26-27 दिनांक 06.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वितीय वर्ष 2026-27 में विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुए (विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल स्पर लिंक) परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि की माँग की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुए (विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल स्पर लिंक) मानक मद भूमि क्रय के अन्तर्गत धनराशि रु० 280000.00 लाख में से जिलाधिकारी, गाजीपुर को रू0 110000.00 लाख, जिलाधिकारी, चन्दौली को रू0 120000.00 लाख, जिलाधिकारी, मिर्जापुर को रू0 50000.00 लाख अर्थात कुल रू0 280000.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गाजीपुर, चन्दौली एवं मिर्जापुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गाजीपुर, चन्दौली एवं मिर्जापुर से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, गाजीपुर, चन्दौली एवं मिर्जापुर उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,00,00,00,000 (रुपये अट्ठाईस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033372800 विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर) का निर्माण **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-44-X-2026-27-दिनांक:28-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, गाजीपुर, चन्दौली एवं मिर्जापुर
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in